26/11/25

पत्रावली पेश हुई हमने उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई विवेचन निम्नप्रकार से है

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.03.2010 को अनवानी वाद ओप्रकाश बनाम भूपसिह में निर्णय पारित किया जाकर जिसमें ख्यालीराम को कोई हिस्सा प्राप्त नही हुआ था जिसकी प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश हुई जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 21.05.2024 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय 08.03.2020 को यथावत रखा गया है जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है।

हस्तगत वाद खाता विभाजन का है तथा वर्तमान जमाबन्दी में हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज नही है जब तक माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण का अन्तिम तौर से निस्तारण नही हो जाता तब तक हस्तगत वाद की कार्यवाही को स्थगित फरमावे।

कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण जिसके विवाद विषय उसकी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारो के बीच के या जिनके त्युत्पत्र अधिकारी के अधिकार के अधीन हो व या उनमें से कोई दावा करते है तो पूर्वक्त संस्थित वाद में पत्यक्षतः और सारत विवाद हो तो आगाम कार्यवाही नही की जा सकती है।

अतः प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद जयसिह बनाम अमरसिह प्रकरण संख्या 575 / 2022 की कार्यवाही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचारीधन प्रकरण हेतराम बनाम ओमप्रकाश के निर्णय तक स्थगित फरमावे।

वादी / अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की पूर्व में दावा के विरूद्व ओमप्रकाश के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के यहा अपील पेश की गई थी जिसका निस्तारण हो चुका है जिसमें पूर्व में जारी डिक्री को यथावत रखा गया है अपील का निर्णय हो चुका है इसलिये वाद की कार्यवाही का स्थगित नही रखा जा सकता है अतः प्रार्थी / प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद में आगामी कार्यवाही फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्यन किया

हस्तगत वाद से सम्बधित पूर्व में भी एक वाद हस्तगत वाद में वर्णित भूमि के सम्बध में पेश किया गया था पूर्व में ओमप्रकाश के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत ओमप्रकाश बनाम भूपसिह वाद पेश किया गया था जिसमें पक्षकारो की हिस्सा कस्सी संशोधन व हको की घोषणा का अनुतोश था जिसमें हस्तगत वाद में वर्णित भूमि एव पक्षकार समान है

पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 19 / 2009 अनवानी ओमप्रकाश बनाम भूपसिह में बाद सुनवाई दिनांक 08.03.2010 को वाद वादी डिक्री किया गया था जिसमें विरूद्व प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष हेतराम बनाम ओमप्रकाश प्रकरण संख्या 22 / 2023 प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 21.05.2024 को बाद सुनवाई निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:32:28 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विचाराधीन है।

पूर्व में प्रस्तुत वाद जो हिस्सा कस्सी व हको की घोषणा से सम्बधित था जो अभी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है हस्तगत वाद खाता विभाजन का पेश किया गया है जब तक वाद भूमि में पक्षकारो की हिस्सा कस्सी के वाद का अन्तिम निस्तारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि का खाता विभाजन किया जाना विधि सम्मत नही है ना ही पक्षकार पूर्व में प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते खाता विभाजन करवाने के अधिकारी नही है यदि ऐसा किया जाता है तो पक्षकारो के मध्य और विवाद की स्थिति पैदा हो जावेगी जो विधि सम्मत नही है

यह विधि का सिद्वान्त है कि पूर्व व हस्तगत वाद में वर्णित भूमि एव पक्षकार एक समान हो तो पूर्व में संधारित वाद का अन्तिम रूप से निस्तारण नही हो तब तक नये वाद में किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नही है

इस प्रकार वाद भूमि के सम्बध में प्रस्तुत वाद जो हिस्सा कस्सी एव हको की घोषणा का था जो वर्तमान में भी विचाराधीन है ऐसी सुरत में हस्तगत वाद जो खाता विभाजन का है में किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जानी न्यायोचित नही है हस्तगत वाद की कार्यवाही पूर्व में प्रस्तुत वाद के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित रखी जानी विधिसम्मत है।

प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद की आगामी कार्यवाही पूर्व में राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन वाद के निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:32:28 IST
Reason: SelfAttested